तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/5/18	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" पक्षकारों को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के उद्देश्यों के बारे में समझाया गया पेश हुई अभिभाषकगण अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी एवं प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रार्थनापत्र पर सुनवाई किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत पेश किया गया प्रार्थी को प्रकरण प्रस्तुत स्वयं का अवलोकन किया गया। राजस्व अपील विपक्षीगण के विरुद्ध दायर है जबकि प्रार्थी विपक्षीगण के पक्ष में पारित डिक्री के अनुपालन के लिए दायर है अतः विपक्षीगण को वादिगण पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के पक्ष में किया जाता है कि वाद के अन्तिम निर्णय तक अपील दायर है अपील लम्बित रहने तक के लिए गाटा 1671, 1694, 1695 रकबा क्रमशः 0.15है, 0.10है, 0.23है कि 3 रकबा 0.48है प्रार्थी गण के पक्ष में अपील अवधि में कब्जा परिवर्तन नहीं करें व अपने परिवार के लिए, जरूरत अनुसार खेती करें, आपसी में छेड़छाड़ नहीं करें व रहन रखें। पक्षकारों को अगली सुनवाई नोटिस भेजकर होगी। इस वाद के लिए दी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर सुजानगढ़ (चूरू)